संख्या-24-ई. एम. /81-का-4-1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ : दिनाँक : जून 18, 1999 ।

विषय :- स्टाफ ग्रीवेन्स अधिकारी की नियुक्ति ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-365(2)/47-का-4-95-24-ई. एम. /81 दिनाँक 02 मई, 1995 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह निर्देश जारी किये गये थे, कि प्रशासन में दक्षता लाने तथा राज्य कर्मचारियों के सामूहिक मामलों के समाधान हेतु प्रत्येक विभाग में वैभागिक संयुक्त संगठन का गठन किया जाय । अभी तक किसी भी विभाग से वैभागिक संयुक्त संगठन के गठन किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है । इसी क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) समस्त विभागों में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के प्राविधानानुसार वैभागिक संयुक्त संगठन का गठन अविलम्ब किया जाय ।

(2) प्रत्येक विभाग में सचिव/विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी को स्टाफ ग्रीवेन्स अधिकारी के रूप में नामित कर दिया जाय, जो सरकारी सेवकों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रत्येक माह बैठक कराकर, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करायेगा ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन कराया जाय और इसकी सूचना कार्मिक विभाग को 25 जून, 1999 तक दे दी जाय ।

संलग्नक :-यथोपरि ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(सुधीर कुमार)
सचिव ।

संख्या-24-ई. एम. /81(1)-का-4-1999, तद् दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(के0एम0लाल)
विशेष सचिव ।